राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

एस.बी. आपराधिक विविध (याचिका) संख्या 2887/2024

1. नैनी देवी @ नेनी देवी @ नेहा पत्नी राम नारायण सेन, उम्र लगभग 63 वर्ष, निवासी सी-13, सरस्वती नगर, बासनी प्रथम चरण, जोधपुर, राज.-342005

2. राम नारायण सेन पुत्र मांगी लाल सेन, उम्र लगभग 65 वर्ष, निवासी सी-13, सरस्वती नगर, बासनी प्रथम चरण, जोधपुर, राज.-342005

3. मंजू @ मंजूश्री रंजीत गडेचा पत्नी रंजीत गडेचा, उम्र लगभग 43 वर्ष, निवासी जंबुल काका वाडी चॉल नंबर 02, कमरा नंबर 25, श्रद्धानंद रोड, विलेपार्ले (पूर्व), मुंबई -400057

4. रंजीत उर्फ रंजीत जगदीश गडेचा पुत्र जगदीश गडेचा, उम्र लगभग 45 वर्ष, निवासी जम्बुल काका वाडी चॉल नंबर 02, कमरा नंबर 25, श्रद्धानंद रोड, विलेपार्ले (पूर्व), मुंबई-400057

5. गणपत उर्फ गणपत सेन पुत्र भैराराम, उम्र लगभग 42 वर्ष, निवासी 56, ओम नगर, राजीव नगर डी सेक्टर के पास, महामंदिर, जोधपुर-342006

6. सुमन @ सुमन परिहार पत्नी मोहित परिहार, उम्र लगभग 36 वर्ष, निवासी मकान नंबर 203 ए, फर्स्ट सी रोड, हरि ब्रदर्स के पास, सरदारपुरा, जोधपुर- 342001

---याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, पीपी के माध्यम से।

2. स्वाति पंवार पत्नी कमलेश सेन, उम्र लगभग 35 वर्ष, निवासी 29ए, हैप्पी ऑवर्स स्कूल की गली के पास, अजीत कॉलोनी, रतनदा, जोधपुर सिटी ईस्ट

---प्रतिवादी

याचिकाकर्ता(ओं) के लिए: श्री देवेन्द्र खत्री

प्रतिवादी(ओं) के लिए: श्री एच.एस. जोधा, पीपी

श्री भावित शर्मा, शिकायतकर्ता के लिए

माननीय न्यायमूर्ति अरुण मोंगा

आदेश

27/08/2024

1. यहां धारा 498-ए, 406 और 323 आईपीसी के तहत कथित अपराधों के लिए पुलिस थाना महिला थाना, जोधपुर (सिटी ईस्ट) में दर्ज एफआईआर संख्या 61/2024 दिनांक 10.04.2024 को रद्द करने की मांग की गई है।

2. याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील और विद्वान लोक अभियोजक को सुना और केस फाइल का अवलोकन किया।

3. याचिकाकर्ता संख्या 3 और 6 बहनें हैं और 4 और 5 उनके पति हैं, इस प्रकार वे शिकायतकर्ता के देवर हैं। एफआईआर को पढ़ने से पता चलता है कि उनके खिलाफ कोई स्पष्ट और विशिष्ट प्रथम दृष्टया मामला नहीं बनता है।

4. एफआईआर का अनुवादित संस्करण इस प्रकार है:

"1. यह उल्लेख करना है कि मैं, याचिकाकर्ता, 07.05.2017 को जोधपुर के सी-13, सरस्वती नगर, यासनी प्रथम चरण के निवासी श्री राम नारायण के पुत्र कमलेश से विवाहित हुई थी। विवाह आर्य समाज, रातानाडा, जोधपुर में सभी हिंदू धार्मिक रीति-रिवाजों और परंपराओं के अनुसार संपन्न हुआ।

2. विवाह से पहले, 03.05.2017 को, मेरे पति कमलेश, मेरी तीन भाभियों-मंजू, सरिता, और सुमन के साथ-साथ उनके पतियों, रणजीत, गणपत और मोहित, और मेरे ससुराल वालों, नैनी देवी के साथ मेरे घर पर मिले। उन्होंने एक सगाई समारोह की योजना बनाई, जो समाज में हमारी स्थिति और प्रतिष्ठा को बढ़ाएगा। परिणामस्वरूप, जोधपुर के इंडाना होटल में 10.05.2017 को एक सगाई समारोह निर्धारित किया गया था। सगाई से पहले, श्री राम नारायण ने मेरे पिता को एक हस्तलिखित नोट सौंपा, जिसमें नाम और संबंध सहित दिए जाने वाले उपहारों का विवरण था, और कहा कि शादी के अलावा उनकी कोई अतिरिक्त मांग नहीं है। मुझसे मिलने के बाद, उन्होंने अपनी सहमति व्यक्त की और सुझाव दिया कि हमें आर्य समाज में एक साधारण तरीके से जल्दी से जल्दी शादी कर लेनी चाहिए क्योंकि कमलेश को जल्द ही कनाडा लौटना था। इसके बाद, 05.05.2017 को, मेरे ससुर और श्री भगवान, जो कमलेश के मामा हैं, आए और सगाई के लिए एक प्रतीक भेंट किया। उन्होंने 07.05.2017 को आर्य समाज, रतनदा, जोधपुर में शादी की पुष्टि की और परिवार के सदस्यों की उपस्थिति में सभी धार्मिक रीति-रिवाजों के अनुसार शादी हुई। शादी के बाद, मेरे ससुर, कमलेश और साली मंजू मेरे घर आए

और अनुरोध किया कि शादी की घोषणा अभी सार्वजनिक रूप से नहीं की जानी चाहिए। उन्होंने रिश्तेदारों को खुश रखने के लिए एक भव्य सगाई समारोह आयोजित करने की योजना बनाई, ताकि कोई भी परेशान न हो। इसके बाद, श्री राम नारायण ने मेरे पिता को आश्वस्त किया और उनके निर्देशानुसार, मेरे पति, ससुराल वालों और ननदों के लिए उपहार के रूप में विभिन्न सोने और चांदी के गहने और महंगे कपड़े प्रदान किए, साथ ही करीबी रिश्तेदारों के लिए रेशमी रजाई और नकदी भी दी।

3. सगाई समारोह के बाद, मेरे ससुर ने अपनी खुशी व्यक्त की और कहा कि चूंकि कमलेश को कनाडा लौटना है, इसलिए वे सभी रिश्तेदारों को समारोह में आमंत्रित करते हुए, लौटने पर औपचारिक रूप से शादी की रस्में पूरी करेंगे। मेरे पिता ने जवाब दिया कि शादी पहले ही हो चुकी है। जवाब में, मेरे ससुर ने कहा कि उन्होंने शादी के माध्यम से रिश्ते को मजबूत किया है, लेकिन सभी समुदाय के सदस्यों के सामने आधिकारिक समारोह आयोजित करेंगे। नतीजतन, शादी 22.01.2018 को भंडारी फार्महाउस, सुरपुरा में तय की गई, जहां मेहमानों का स्वागत और सम्मान किया गया। इसके बाद, कमलेश और मैंने अपने निवास पर हिंदू विवाह की रस्में निभाईं, जहां मेरे पिता ने उदारतापूर्वक अपनी क्षमता के अनुसार सोने और चांदी के गहने, कपड़े, उपहार और नकदी प्रदान की। सगाई और शादी के दौरान दिए गए सोने-चांदी के आभूषण, कपड़े और अन्य सामान का विवरण इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

4. शादी के बाद मैं सी-13, सरस्वती नगर, बासनी, जोधपुर स्थित अपने ससुराल पहुंची। अगले ही दिन मेरे पति, ससुराल वालों और तीनों ननदों ने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए दावा किया कि मेरे पिता ने शादी की व्यवस्था ठीक से नहीं की है। मेरी ननदों ने मुझ पर शादी के दौरान उनकी और उनके पतियों की अनदेखी करने का आरोप लगाया और कहा कि उन्हें एनआरआई की हैसियत के मुताबिक उचित दहेज की उम्मीद थी, जिसमें 25,00,000 रुपये और पचास तोला सोना शामिल था। उन्होंने इसे मामूली उत्सव समझकर अपमानित महसूस किया, जिससे समाज में उनकी प्रतिष्ठा धूमिल हुई। नतीजतन, मेरे पति, ससुराल वालों और ननदों ने मुझे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से ताना मारना शुरू कर दिया। शादी के दौरान, मुझे पैर छूने और अन्य रस्मों के लिए आशीर्वाद के रूप में लगभग 35,000 रुपये मिले, लेकिन मेरी ननद मंजू ने मुझसे वह पैसे ले लिए। देवताओं की पूजा करने के बाद, मेरे पति और ससुराल वालों ने मेरे परिवार से उपहार के रूप में मिले सभी सोने और चांदी के गहने मांग लिए, यह कहकर इसे उचित ठहराया कि दुल्हन के गहने सास के पास रखने की प्रथा है। उन्होंने मेरे सारे गहने ले लिए और मेरी सास को दे दिए, जो अभी भी उनके पास हैं, और मेरे अनुरोधों के बावजूद, मुझे वे वापस नहीं मिले।

5. शादी के बाद, मैं और मेरे पति 29 जनवरी, 2018 को टूरिस्ट वीजा पर कनाडा गए। उड़ान के दौरान, उन्होंने सगाई के दौरान दिए गए उपहारों और शादी के दौरान दिए गए उपहारों के बीच असमानता के बारे में शिकायत की, उन्होंने कहा कि

कोई नकद राशि भी नहीं दी गई। उन्होंने निराशा व्यक्त की, उन्होंने उल्लेख किया कि उन्हें कम से कम ₹25,00,000 और पचास तोला सोना मिलने की उम्मीद थी। कनाडा पहुँचने के बाद, मेरे ससुराल वालों और ननदों, मंजू और सुमन ने मुझे फोन करना शुरू कर दिया, उपहार और दहेज के मामले में उनकी उम्मीदों पर खरा न उतरने के लिए मेरी आलोचना की। मेरी ननदों ने मुझ पर शादी के दौरान उनकी अनदेखी करने का आरोप लगाया और धमकी दी कि वे मुझे शांति से रहने नहीं देंगी। मेरे ससुराल वालों ने जोर देकर कहा कि चूँकि उनका बेटा कमलेश एक एनआरआई है, इसलिए उसे अपनी शिक्षा में परिवार द्वारा किए गए निवेश को वापस करना होगा, उन्होंने कहा कि मेरे पिता ने ₹1,00,000 और 50 तोला सोना देने का वादा किया था। उन्होंने मुझे चेतावनी दी कि अगर मैंने उनकी बात नहीं मानी तो शादी नहीं चलेगी। मेरी ननदें और उनके पति मेरे पति को फोन करके मेरे खिलाफ खड़े होने का दबाव बनाते थे और बार-बार अपनी मांगों से उनके कान भरते थे। इसके चलते मेरे पति ने मुझ पर शारीरिक हमला किया और गाली-गलौज की, साथ ही मेरे माता-पिता का अपमान भी किया, यह सब 35,00,000 रुपये और 50 तोला सोना पाने के लिए किया, जिसे देने के लिए उन्होंने मुझसे आग्रह किया।

6. इस संदर्भ में एक दिन मेरे बड़े साले रणजीत ने मेरे पति को, जिसमें मेरा मझला साला गणपत भी शामिल था, कॉन्फ्रेंस कॉल पर बुलाया। रणजीत ने पूछा कि क्या मेरे पति ने मुझसे पैसे और सोना वसूला है, जिस पर मेरे पति ने जवाब दिया कि नहीं। रणजीत ने तब टिप्पणी की कि मेरे पति वास्तव में

"अपनी पत्नी के गुलाम" बन गए हैं और उन्हें मुझे कनाडा नहीं ले जाना चाहिए था; उन्हें मुझे जोधपुर में ही छोड़ देना चाहिए था। रंजीत ने सुझाव दिया कि अगर मुझमें थोड़ी भी समझ होती तो मैं पैसे और सोने का इंतजाम कर लेती। कनाडा में मेरे देवर, मेरी ननद मंजू और सुमन के साथ मिलकर मेरे पति को लगातार भड़काते रहे, उन्हें मेरे साथ कठोर और शारीरिक रूप से दुर्व्यवहार करने के लिए प्रोत्साहित करते रहे। वे अपनी अनुचित और अवैध मांगों को पूरा करने के लिए लगातार तरह-तरह की योजनाएँ बनाते रहे।

7. जब मैं चार महीने बाद भारत लौटी तो मेरे ससुराल वालों ने मेरे देवर रंजीत और गणपत के साथ मिलकर मुझे चैन से जीने नहीं दिया। उन्होंने मुझे "काली", "भिखारी", "बदकिस्मत" और "शापित" जैसे अपमानजनक नामों से पुकारा और वे मुझसे रोज़ाना पैसे और सोने की माँग करते रहे, यह कहकर मेरा मज़ाक उड़ाते रहे कि मैं सिर्फ़ एक भिखारी हूँ। इस दौरान मेरे पति कमलेश ने दावा किया कि उन्हें पैसों की ज़रूरत है और उन्होंने मुझसे पैसे माँगे। जब मैंने उसे अपने पिता से पैसे मांगने का सुझाव दिया, तो मेरे ससुराल वाले भड़क गए और मेरे साथ मारपीट करने लगे, धमकी दी कि अगर मैंने कमलेश को पैसे नहीं भेजे, तो मुझे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। डरी हुई और अपनी जान बचाने के लिए बेताब, मैंने 03.09.2018 को जोधपुर में अपने आईसीआईसीआई बैंक खाते से अपने पति के खाते में 50,000 रुपये ट्रांसफर कर दिए, बिना अपने माता-पिता को बताए। उन्होंने कनाडा में स्थायी निवास हासिल करने में मेरे पति की विफलता के लिए मुझे दोषी ठहराया, मुझे

बदकिस्मत कहा और मुझे और अधिक परेशान किया। मेरे पति ने भी मेरे ससुराल वालों की नकारात्मक टिप्पणियों से प्रोत्साहित होकर मुझ पर पैसे लाने का दबाव डाला, जिससे मेरे माता-पिता के साथ मेरे रिश्ते और खराब हो गए।

8. कुछ समय बाद, मैं दूसरी बार कनाडा (वैंकूवर) गई। इस अवधि के दौरान, मेरे ससुराल वालों ने मेरे देवर रणजीत और गणपत के साथ मिलकर मेरे पति पर दबाव बनाना जारी रखा। उन्होंने उसे सलाह दी कि अगर वह आसानी से पैसे नहीं निकाल सकता, तो उसे और ज़ोर देना चाहिए। जब मैंने बच्चे की इच्छा जताई, तो मेरे पति ने दावा किया कि उनकी ज़िम्मेदारियाँ हैं और वह अभी बच्चे के बारे में नहीं सोच सकते; उन्हें पहले अपनी आय बढ़ाने पर ध्यान देने की ज़रूरत है। दबाव में, मैंने अप्रैल 2020 में एक निजी नौकरी शुरू की। मेरे पति द्वारा मेरा वेतन लिए जाने के बावजूद, जिन्होंने जोर देकर कहा कि मैं उनकी वजह से कमा रही हूँ, उन्होंने मुझ पर अपने पिता से पैसे और सोना लाने का दबाव डाला। 20 जुलाई, 2021 को, मेरे पति ने हमारी संयुक्त आय प्रस्तुत की और हमारी दोनों बचत का उपयोग 155.32633 साइमन एवेन्यू, ऑलवुड स्ट्रीट, एबॉट्सफ़ोर्ड में एक संपत्ति को गिरवी रखने के लिए किया, इसे खरीदा और 26 जुलाई, 2021 को घर में प्रवेश किया। हालाँकि, जब मैंने फिर से बच्चे के बारे में बात की, तो उन्होंने अपनी ज़िम्मेदारियों का हवाला देते हुए बातचीत को टाल दिया और मुझे अपने पिता से पैसे नहीं मिलने पर भारत वापस भेजने की धमकी दी।

9. इस दौरान मेरे पति ने मुझे तीन अलग-अलग जगहों पर निजी नौकरी करने के लिए मजबूर किया। अक्टूबर 2022 के पहले सप्ताह में, जब मैं नवरात्रि के व्रत रख रही थी, तो उसने मुझे बगीचे की सफाई करने के लिए कहा। मैंने धीरे से समझाया कि मैं पहले से ही घर के कामों को संभाल रही हूँ और तीन नौकरियाँ कर रही हूँ, और वापस आने पर सफाई करूँगी। जवाब में, कमलेश ने मुझे मारना शुरू कर दिया, मेरे पैर पकड़ लिए और मुझे ज़मीन पर पटक दिया, जिससे मेरी पीठ में चोट लग गई। उसने मेरा फ़ोन भी ले लिया, क्योंकि उसके पास मेरे अकाउंट और पासवर्ड तक पहुँच थी। 3 अक्टूबर, 2022 को, मेरे मना करने के बावजूद, उसने मेरे अकाउंट से $2,000 अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लिए, और इस बात पर ज़ोर दिया कि चूँकि मैं उसकी वजह से कनाडा में थी, इसलिए मेरा उस पैसे पर कोई अधिकार नहीं है और वह जो चाहे कर सकता है।

10. 31 दिसंबर, 2022 को नए साल के लिए, मैं अपने पति के साथ यू.एस. के एक होटल में गई और अगले दिन कनाडा लौट आई। इसके तुरंत बाद मेरे पति को उनके परिवार से फ़ोन आया और वे बाहर चले गए। जब वे वापस लौटे तो उन्होंने पैसे के लिए मुझ पर हमला करना शुरू कर दिया। गुस्से में उन्होंने मेरे पिता को फ़ोन किया और मुझे फ़ोन थमा दिया और कहा कि उन्होंने मुझे इसलिए मारा क्योंकि मैंने उन्हें 2.5 मिलियन रुपए और 50 तोला सोना नहीं दिया। यह पहली बार था जब मैंने अपने पिता को शारीरिक शोषण और अन्य घटनाओं के बारे में बताया और उन्हें अपनी चोटों की तस्वीरें भेजीं। शोषण

के बारे में पता चलने पर मेरे माता-पिता मेरे ससुराल गए, लेकिन मेरे ससुराल वालों ने अनजान होने का नाटक किया और मुझे परेशान करना जारी रखने के लिए योजनाएँ बनाने लगे।

11. एक दिन मेरी बड़ी भाभी मंजू ने मुझे फ़ोन करके बताया कि हमारे जीजा रंजीत को देवता से संदेश मिला है, जिसमें कहा गया है कि हमारे आस-पास बुरी ऊर्जा (अपशगुन) है। मेरे ससुर ने भी फ़ोन करके बताया कि मेरे मामा की आत्मा आई है और उन्होंने चेतावनी दी है कि हमारे घर में वास्तु दोष है। इस तरह की टिप्पणियों ने मेरे पति को मेरी आपत्तियों के बावजूद मुझ पर अपना घर बेचने के लिए दबाव बनाने के लिए उकसाया। मई 2023 में, मेरी इच्छा के विरुद्ध, हमने घर को बिक्री के लिए सूचीबद्ध किया, जिसे हमने संयुक्त रूप से खरीदा था। इसे $87,708 में बेचने के बाद, मेरे पति ने 8 जून, 2023 को मेरी सहमति के बिना अपने क्रेडिट कार्ड का भुगतान करने के लिए $8,000, साथ ही $1,500 और $77,000 अपने व्यक्तिगत खातों में स्थानांतरित कर दिए, कुल मिलाकर $86,500 मेरी जानकारी के बिना निकाल लिए गए। जब मैंने उनसे इस लेन-देन के बारे में पूछा, तो वे नाराज़ हो गए, उन्होंने दावा किया कि यह पैसा उनका था और मैंने इसमें कुछ भी योगदान नहीं दिया था। इसके अलावा, मेरे पति ने मेरे ससुराल वालों के साथ मिलकर 8 जून, 2023 को ब्रिटिश कोलंबिया के सुप्रीम कोर्ट में गुप्त रूप से तलाक के लिए अर्जी दायर करने की साजिश रची। 13 जून को, उन्होंने मुझे धोखा देकर मेरा पर्स लेने के लिए बुलाया, लेकिन इसके बजाय, मुझे तलाक के कागजात दिए गए। जब मुझे एहसास हुआ कि मेरा पासपोर्ट गायब है, तो मैंने

पाया कि मेरे पति ने इसे छिपा दिया है। मेरे माता-पिता को सूचित करने के बाद, वे मेरे ससुराल वालों से पूछने गए, और मुझे मेरे ससुर ने एक विशेष दराज में देखने के लिए कहा, जहाँ मुझे अंततः मेरा पासपोर्ट छिपा हुआ मिला।

12. उसके बाद, भगवान जी, मेरे ससुर और मेरे पिता ने मेरे पति कमलेश को समझाया कि 21 जून, 2023 को उन्हें तलाक का मामला वापस ले लेना चाहिए। उन्होंने "नोटिस ऑफ डिसकंटिन्यून्स" टाइप किया और इसे अपने वकील पामेला वस्ती के माध्यम से व्हाट्सएप पर भेजा, लेकिन इसे अदालत में पेश नहीं किया। 13 जून से 29 जून, 2023 तक, मेरे पति ने मुझे घर लौटने से रोका, मुझे एक दोस्त के घर पर रहने के लिए मजबूर किया, जिससे मुझे गंभीर अवसाद और तनाव हुआ। जब मेरे ससुराल वाले 30 जून को कनाडा आए, तो मेरे ससुर और मेरे पिता ने बार-बार मेरे पति से पुनर्विचार करने का आग्रह किया। नतीजतन, 6 जुलाई, 2023 को, मेरे पति ने अदालत में "नोटिस ऑफ डिसकंटिन्यून्स" पेश किया, जिससे तलाक की कार्यवाही प्रभावी रूप से रुक गई। मेरे ससुराल वाले छह महीने तक हमारे साथ रहे, इस दौरान उन्होंने मेरी भाभी मंजू और अन्य लोगों के साथ मिलकर कमलेश का साथ देने के बजाय मुझे ही दोषी ठहराया। उन्होंने जोर देकर कहा कि अगर मैं खुशहाल जीवन जीना चाहती हूं, तो मुझे किसी तरह अपने माता-पिता से पैसे और सोना लाना चाहिए। जब मेरे ससुराल वाले 15 दिसंबर, 2023 को भारत लौटे, तो मेरे उनके साथ जाने की योजना बनाई गई, लेकिन उन्होंने कमलेश के साथ मेरी वापसी में दो महीने की देरी करने की योजना बनाई। मेरे

पति ने धोखे से 18 मार्च, 2024 को वैंकूवर से दिल्ली के लिए हमारे लिए टिकट बुक कर दिए और 27 जनवरी, 2024 को व्हाट्सएप के जरिए टिकट का विवरण भेजकर मेरे पिता को गुमराह किया और उन्हें आश्वासन दिया कि सब कुछ ठीक है।

13. मेरे ससुराल वालों के भारत लौटने के बाद, मेरे पति ने मुझसे पैसे और सोने की मांग जारी रखी और जोर देकर कहा कि मैं अपने पिता से इसके लिए कहूँ। जब मैंने बताया कि उसने मेरी सारी कमाई ले ली है, तो उसने जोर देकर कहा कि उसे एकमुश्त रकम चाहिए, छोटी रकम नहीं। मैंने आखिरकार अपने पिता से पैसे न मांगने का फैसला किया। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि कनाडा में रहने के दौरान, मेरे पति ने मेरी जानकारी या सहमति के बिना मेरे मोबाइल को अपने मोबाइल से लिंक कर लिया था और बार-बार अपने रिश्तेदारों को संदेश भेजे और बाद में उन्हें हटा दिया। मुझे इस बारे में 2 मार्च, 2024 को ही पता चला, जब मैंने उससे इस बारे में पूछा। उसने लापरवाही से बताया कि वह अक्सर ऐसा करता है और लॉग आउट करने से पहले मेरे संदेशों को पढ़ लेता है। इससे मैं बहुत परेशान हो गई और मैंने स्थिति का स्क्रीनशॉट लिया और उसे लॉग आउट कर दिया। उसी दिन, कमलेश ने 32435 साउथ फ्रेजर वे स्थित टीडी कनाडा ट्रस्ट बैंक में मेरे कार्यालय में तलाक के कागजात भेजकर मुझे फिर से धोखा दिया।

14. कि मेरे पति, सास, ननद मंजू व सुमन ननदोई रंजीत जी व गणपत जी ने सिर्फ अपनी धन की भूख मिटाने के लिए हमें भरोसे से बाहर कर शादी कर ली और सगाई के नाम पर कई

तरह की वस्तुएं प्राप्त कर लीं। साथ ही शादी में जेवर, नकदी आदि भी प्राप्त कर ली। मेरी पत्नी की सारी संपत्ति अपने पास रख ली और लगातार दहेज की मांग कर मुझे जानबूझ कर प्रताड़ित किया। मेरे ससुराल वालों ने मुझे मारा-पीटा और पचास हजार रुपए कामदा भेजने के लिए परेशान किया। मेरे पति को मुझे पीटने के लिए उकसाया और मेरे पति ने उपरोक्त प्रेरणा और अपने डर के कारण मुझे बेरहमी से पीटा और मुझसे कई बार मेरे पैसे छीन लिए और मेरे खाते से 2000 ऑनर्स भी अपने खाते में ट्रांसफर कर लिए। इसके अलावा फ्लैट के लीज से प्राप्त मोटी रकम में से मेरा हिस्सा भी सदीप के नाम और मुझे गंभीर नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से हड़प लिया गया और अंत में षडयंत्र रचकर दोबारा तलाक की प्रक्रिया शुरू कर दी और अपने स्वार्थ के लिए मुझे याचिकाकर्ता के रूप में इस्तेमाल किया। लगातार प्रताड़ित किया। अतः रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन है कि मेरे मित्र कमलेश (1 (250) 816-0296) कार्यालय क्रमांक – (1 (236) 988-4096) कार्यालय प्रथम पता – 6204 प्रसर एसआई। वैंकूवर, और अन्य पता 5705 विक्टोरिया डीआई, वैंकूवर मेरे पति का ई-मेल पता kamlesh.sen@outlook.com माँ नैनी देवी उर्फ नेहा (6375792373), ससुर रामनारायण (7597060774), ननद मंजू (9823184110) और तुमन (8949235042) ननदोई रंजीत जी (9673671389), गणपत की (9680066994) के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उचित कानूनी कार्रवाई कर उन्हें उनके द्वारा किए गए अपराध की सजा दिलवाकर मुझे न्याय दिलाना है।”

5. इसमें कोई संदेह नहीं है कि एफआईआर शिकायतकर्ता के कहने पर दर्ज की गई है और अपराध के संबंध में पुलिस को एक बार सूचित करने के बाद, वह एक हितधारक है। हालांकि, ऐसे अपराधों के मामलों में, जो समाज या महिला के खिलाफ हैं, एक बार कथित अपराध के संबंध में अभियोजन पक्ष द्वारा सूचना का संज्ञान ले लिया गया है, उसके बाद, अभियुक्त पर मुकदमा चलाना राज्य की जिम्मेदारी और कर्तव्य बन जाता है। इसलिए, एक बार अभियोजन पक्ष ने कार्यभार संभाल लिया है, तो शिकायतकर्ता की भूमिका अभियोजन पक्ष को सहायता प्रदान करने तक सीमित है, न कि अपने दम पर समानांतर अभियोजन चलाने तक। इस मामले के इस दृष्टिकोण से, जब राज्य का प्रतिनिधित्व विद्वान पीपी के माध्यम से किया जाता है, तो शिकायतकर्ता को याचिका की सूचना देना आवश्यक नहीं है और इसलिए, इससे छूट दी जाती है।

6. कुछ इसी तरह की परिस्थितियों में, मुझे अमित भारद्वाज और अन्य बनाम राजस्थान राज्य और अन्य नामक मामले में निर्णय देने का अवसर मिला है। (एस.बी. आपराधिक विविध याचिका सं.1625/2024), 04.07.2024 को तय की गई, उससे संबंधित उपरोक्त पुनः उद्धृत है:

"11. एफआईआर में लगाई गई तीसरी धारा आईपीसी की धारा 498-ए है। याचिकाकर्ताओं पर इसके लागू होने को बेहतर ढंग से समझने के लिए, उक्त धारा नीचे पुनः उद्धृत है:

498ए. किसी महिला के पति या पति के रिश्तेदार द्वारा उस पर क्रूरता करना। - जो कोई भी, किसी महिला का पति या पति का रिश्तेदार होने के नाते, ऐसी महिला पर क्रूरता करता है, उसे तीन साल तक की कैद की सजा

दी जाएगी और जुर्माना भी देना होगा।

स्पष्टीकरण. - इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "क्रूरता" का अर्थ है -

(ए) कोई भी जानबूझकर किया गया आचरण जो इस तरह का हो कि महिला को आत्महत्या करने के लिए प्रेरित करे या महिला के जीवन, अंग या स्वास्थ्य (चाहे मानसिक या शारीरिक) को गंभीर चोट या खतरा पहुंचाए; या (ख) महिला को परेशान करना, जहां ऐसा उत्पीड़न उसे या उसके किसी रिश्तेदार को किसी संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति की अवैध मांग को पूरा करने के लिए मजबूर करने के उद्देश्य से किया जाता है या उसके या उसके किसी रिश्तेदार द्वारा ऐसी मांग को पूरा करने में विफल रहने के कारण किया जाता है।

12. उक्त धारा का अध्ययन करने के बाद, शिकायतकर्ता के पास सबसे अच्छा उपाय धारा 498-ए की उपधारा (ख) में दिया गया स्पष्टीकरण है, जिसमें ऐसी प्रकृति का जानबूझकर किया गया कार्य शामिल है, जिससे पत्नी/शिकायतकर्ता को परेशान किया जाता है या संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति की अवैध मांग को पूरा करने के लिए दबाव डाला जाता है।

13. जब एफआईआर की विषय-वस्तु को धारा 498-ए(ख) के तत्वों के प्रकाश में पढ़ा जाता है, तो यह स्पष्ट है कि इस धारा की प्रकृति के अनुसार किसी भी आरोप के अभाव में यह कोई मामला नहीं बनाता है।

14.उपर्युक्त संदर्भ में, प्रीति गुप्ता एवं अन्य बनाम में दिए गए निर्णय का संदर्भ लिया जा सकता है। झारखंड राज्य एवं अन्य में यह भी कहा गया हैः

32. यह आम अनुभव की बात है कि धारा 498ए के अंतर्गत अधिकांश शिकायतें बिना उचित विचार-विमर्श के क्षणिक मुद्दों पर आवेश में आकर

दायर की जाती हैं। हमें ऐसी बहुत सी शिकायतें मिलती हैं जो वास्तविक भी नहीं होतीं और परोक्ष उद्देश्य से दायर की जाती हैं। साथ ही दहेज उत्पीड़न के वास्तविक मामलों की संख्या में तेजी से वृद्धि भी गंभीर चिंता का विषय है।

33. बार के विद्वान सदस्यों की बहुत बड़ी सामाजिक जिम्मेदारी और दायित्व है कि वे सुनिश्चित करें कि पारिवारिक जीवन का सामाजिक ताना-बाना बर्बाद या नष्ट न हो। उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आपराधिक शिकायतों में छोटी-छोटी घटनाओं का बढ़ा-चढ़ाकर वर्णन न किया जाए। अधिकांश शिकायतें या तो उनकी सलाह पर या उनकी सहमति से दायर की जाती हैं। बार के विद्वान सदस्य जो एक महान पेशे से जुड़े हैं, उन्हें इसकी महान परंपराओं को बनाए रखना चाहिए और धारा 498ए के अंतर्गत प्रत्येक शिकायत को एक बुनियादी मानवीय समस्या के रूप में लेना चाहिए और पक्षों को न्याय दिलाने में मदद करने का गंभीर प्रयास करना चाहिए। उस मानवीय समस्या का सौहार्दपूर्ण समाधान हो। उन्हें अपनी पूरी क्षमता से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि समाज का सामाजिक ताना-बाना, शांति और सौहार्द बरकरार रहे। बार के सदस्यों को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि एक शिकायत के कारण कई मामले सामने न आएं:

34. दुर्भाग्यवश, शिकायत दर्ज करते समय शिकायतकर्ता द्वारा इस बात का ठीक से अनुमान नहीं लगाया जाता कि ऐसी शिकायत से शिकायतकर्ता, आरोपी और उसके करीबी रिश्तेदारों को असहनीय उत्पीड़न, पीड़ा और दर्द हो सकता है।

35. न्याय का अंतिम उद्देश्य सत्य का पता लगाना और दोषियों को दंडित करना तथा निर्दोषों की रक्षा करना है। अधिकांश शिकायतों में सत्य का पता लगाना बहुत कठिन कार्य है। पति और उसके सभी नजदीकी रिश्तेदारों को

फंसाने की प्रवृत्ति भी असामान्य नहीं है। कई बार तो आपराधिक मुकदमे के समाप्त होने के बाद भी वास्तविक सत्य का पता लगाना कठिन होता है। न्यायालयों को इन शिकायतों से निपटने में अत्यंत सावधान और सतर्क रहना चाहिए तथा वैवाहिक मामलों से निपटने में व्यावहारिक वास्तविकताओं को ध्यान में रखना चाहिए। पति के करीबी रिश्तेदारों के उत्पीड़न के आरोप, जो अलग-अलग शहरों में रह रहे थे तथा कभी भी शिकायतकर्ता के निवास स्थान पर नहीं गए या बहुत कम गए, का स्वरूप बिल्कुल अलग होगा। शिकायत के आरोपों की बहुत सावधानी और सतर्कता से जांच की जानी चाहिए।

36. अनुभव से पता चलता है कि लंबे और लंबे समय तक चलने वाले आपराधिक मुकदमे पक्षकारों के बीच संबंधों में विद्वेष, कटुता और कड़वाहट पैदा करते हैं। यह भी सर्वविदित है कि शिकायतकर्ता द्वारा दायर मामलों में यदि पति या पति के रिश्तेदारों को कुछ दिन भी जेल में रहना पड़े तो इससे सौहार्दपूर्ण समाधान की संभावना पूरी तरह खत्म हो जाएगी। पीड़ा की प्रक्रिया बहुत लंबी और दर्दनाक होती है।

15. इसके अलावा, अर्नेश कुमार बनाम बिहार राज्य और अन्य 2 में, यह इस प्रकार देखा/रखा गया है: "4. हाल के वर्षों में वैवाहिक विवादों में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। इस देश में विवाह संस्था का बहुत सम्मान किया जाता है। धारा 498-ए आईपीसी को पति और उसके रिश्तेदारों के हाथों महिला को होने वाले उत्पीड़न के खतरे से निपटने के लिए पेश किया गया था। तथ्य यह है कि धारा 498-ए आईपीसी एक संज्ञेय और गैर-जमानती अपराध है, जिसने इसे उन प्रावधानों के बीच एक संदिग्ध गौरव प्रदान किया है, जिनका उपयोग असंतुष्ट पत्नियों द्वारा ढाल के बजाय हथियार के रूप में किया जाता है। परेशान करने का सबसे सरल तरीका इस प्रावधान के तहत पति और उसके रिश्तेदारों को गिरफ्तार करवाना है। कई मामलों में, पतियों

के बिस्तर पर पड़े दादा-दादी, दशकों से विदेश में रहने वाली उनकी बहनों को गिरफ्तार किया जाता है।

15. कहकशां कौसर @ सोनम और अन्य बनाम बिहार राज्य और अन्य 3 में, सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रकार दोहराया:

"17. उपर्युक्त निर्णयों से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि इस अदालत ने कई बार धारा 498 ए आईपीसी के दुरुपयोग और वैवाहिक विवादों में पति के रिश्तेदारों को फंसाने की बढ़ती प्रवृत्ति पर चिंता व्यक्त की है, बिना शिकायतकर्ता और आरोपी दोनों पर मुकदमे के दीर्घकालिक परिणामों का विश्लेषण किए। उक्त निर्णयों से यह भी स्पष्ट है कि वैवाहिक विवाद के दौरान लगाए गए सामान्य सर्वव्यापी आरोपों के माध्यम से गलत आरोप लगाने पर यदि रोक नहीं लगाई गई तो इससे कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा। इसलिए, इस न्यायालय ने अपने निर्णयों के माध्यम से न्यायालयों को पति के रिश्तेदारों और ससुराल वालों के खिलाफ कार्यवाही करने से आगाह किया है, जब उनके खिलाफ कोई प्रथम दृष्टया मामला नहीं बनता है। 16. इसमें कोई संदेह नहीं है कि धारा 498-ए, ibid, महिलाओं को उनके पतियों और ससुराल वालों द्वारा दहेज उत्पीड़न और क्रूरता से बचाने के लिए पेश की गई थी। हालांकि, वैवाहिक विवादों में पति के रिश्तेदारों को बिना उचित जांच के फंसाने की बढ़ती प्रवृत्ति, संपार्श्विक लाभ के लिए, इसके संभावित दुरुपयोग की ओर ले जाती है।

17.इस मामले का एक और पहलू यह है कि इस तरह के दुरुपयोग के निहितार्थ शिकायतकर्ता तक भी पहुंच सकते हैं। शिकायतकर्ता के लिए, एक तुच्छ मामला वास्तविक मुद्दों से ध्यान हटा सकता है और वैध शिकायतों की विश्वसनीयता को कम कर सकता है। दूसरी ओर, अभियुक्तों, विशेष रूप से पति के रिश्तेदारों, जैसे कि यहां याचिकाकर्ताओं के लिए, यह अनुचित कानूनी लड़ाई, सामाजिक कलंक और भावनात्मक संकट का कारण बनता है। इसलिए

कानूनी प्रावधानों के दुरुपयोग को रोकने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि न्यायिक प्रक्रिया का शोषण नहीं किया जाता है, अभियुक्तों के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला स्थापित करना महत्वपूर्ण है।

18.सामान्य और सर्वव्यापी आरोप, जो व्यापक और व्यापक हैं अनिर्दिष्ट, अक्सर कानूनी जांच का सामना नहीं कर पाते। अगर ऐसे आरोपों की जांच नहीं की गई तो वे कानूनी प्रक्रिया के दुरुपयोग को बढ़ावा दे सकते हैं। इस दुरुपयोग के परिणामस्वरूप अनावश्यक मुकदमे हो सकते हैं, जिनका सभी संबंधित पक्षों पर दीर्घकालिक प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए न्यायिक सावधानी का एक शब्द यहां अप्रासंगिक नहीं हो सकता है, जिसमें विद्वान ट्रायल कोर्ट से आग्रह किया गया है कि वे पति के रिश्तेदारों के खिलाफ बिना किसी स्पष्ट और विशिष्ट प्रथम दृष्टया मामले के कार्यवाही से बचें। न्यायालय का इरादा और कर्तव्य उन व्यक्तियों के कानूनी उत्पीड़न को रोकना चाहिए जिनका कथित वैवाहिक क्रूरता में कोई महत्वपूर्ण संलिप्तता नहीं है।

7. मेरी राय में अमित भारद्वाज मामले में दिया गया फैसला, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित मापदंडों और सिद्धांतों पर निर्भर करते हुए, वर्तमान मामले में भी याचिकाकर्ता संख्या 3 से 6 के लिए समान रूप से लागू है। मुझे कोई कारण नहीं दिखता कि इसका लाभ याचिकाकर्ता संख्या 3 से 6 को क्यों न दिया जाए।

8. अर्नेश कुमार बनाम बिहार राज्य और अन्य (2014) 8 एससीसी 273] में दिए गए सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का भी संदर्भ लिया जा सकता है। 6. जैसा कि ऊपर कहा गया है, स्पष्ट रूप से, एफआईआर की सामग्री याचिकाकर्ता संख्या 3 से 6 की ओर से कोई दोष स्थापित नहीं करती है, जो प्रतिवादी संख्या 2-शिकायतकर्ता की भाभी और देवर (भाभी के पति) हैं।

9.मेरा मानना है कि इस तरह के बेबुनियाद आरोप, जिनमें कोई विशेष विवरण नहीं है, उनके खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला भी नहीं बनाते। ये आरोप वैवाहिक कटुता से उपजे किसी अन्य उद्देश्य से लगाए गए प्रतीत होते हैं।

10. परिणामस्वरूप, याचिकाकर्ता संख्या 3 से 6 के संबंध में तत्काल याचिका स्वीकार की जाती है। पुलिस थाना महिला थाना, जोधपुर (सिटी ईस्ट) में दिनांक 10.04.2024 को दर्ज एफआईआर संख्या 61/2024 और याचिकाकर्ता संख्या 3 से 6 के संबंध में परिणामी कार्यवाही को एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है।

11. जहां तक याचिकाकर्ता संख्या 1 और 2 का संबंध है, मुझे एफआईआर निरस्त करने के लिए अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग करने का यह उपयुक्त मामला नहीं लगता।

12. आधार में, यह निर्देश दिया जाता है कि याचिकाकर्ता संख्या 1 और 2 जांच में शामिल होंगे। हालांकि, अगर जांच के दौरान जांच अधिकारी को लगता है कि उनकी गिरफ्तारी के लिए कोई आपत्तिजनक सामग्री है, तो उन्हें धारा 41-ए सीआरपीसी (अब बीएनएसएस की धारा 35) के तहत पूर्व सूचना दी जाएगी ताकि वे कानून के अनुसार कानूनी उपाय कर सकें। अर्नेश कुमार बनाम बिहार राज्य और अन्य (2014) 8 एससीसी 273] में दिए गए सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का भी संदर्भ लिया जा सकता है।

13. याचिकाकर्ता संख्या 1 और 2 के अनुसार निपटारा किया जाता है।

14. सभी लंबित आवेदन, यदि कोई हो, का भी निपटारा किया जाता है।

(अरुण मोंगा),जे

(यह अनुवाद एआई टूल: SUVAS की सहायता से किया गया है)

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के लिए सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।